FCRA रद्दीकरण रद्द: नवीनीकरण की राह खुली, बहाली नहीं

मूल प्रकाशन: 27 नवंबर 2026

समाचार-संदर्भ: दिल्ली उच्च न्यायालय, 26 नवंबर 2026 (RFA 635/2022)

प्रासंगिकता: GS-2 (शासन, सांविधिक नियमन, न्यायपालिका)

प्रिलिम्स: FCRA 2010 की धाराएँ 13, 14, 31; अनुपातिकता का सिद्धांत



pcsmantra.com

खबरों में क्यों

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए. जे. भंभानी ने 26 नवंबर 2026 को एक अपील का निपटारा किया। अपील सोशियो-लीगल इन्फ़ॉर्मेशन सेंटर (SLIC) की थी। इस संस्था को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के तहत विदेशी धन लेने का पंजीकरण मिला हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 अक्टूबर 2022 को यह पंजीकरण रद्द कर दिया था। न्यायालय ने वह रद्दीकरण आदेश अवैध, अनुपातहीन और ज़रूरत से ज़्यादा कठोर बताकर रद्द कर दिया।

यहाँ एक बारीकी छूटनी नहीं चाहिए। निर्णय के अनुच्छेद 32 के अनुसार संस्था का पंजीकरण रद्दीकरण आदेश से **पहले ही** समाप्त (expire) हो चुका था। इसलिए न्यायालय ने पंजीकरण को जीवित मानकर बहाल नहीं किया। उसने संस्था को नवीनीकरण का आवेदन दाखिल करने या उसे आगे बढ़वाने की छूट दी, और गृह मंत्रालय से कहा कि वह उसे शीघ्र निपटाए तथा पुराने आरोपों को ध्यान में न रखे।

मूल शब्द सरल भाषा में
विदेशी अंशदान: किसी विदेशी स्रोत से मिला दान या हस्तांतरित धन।
पंजीकरण प्रमाणपत्र: वह अनुमति-पत्र जिसके बिना कोई संगठन FCRA के तहत विदेशी अंशदान नहीं ले सकता। इसकी एक वैधता अवधि होती है और समय पर नवीनीकरण कराना पड़ता है।
निलंबन (धारा 13): रद्द करने पर विचार के दौरान प्रमाणपत्र को अस्थायी रूप से रोकना। अधिनियम में यह 180 दिन के लिए हो सकता है और अधिकतम 180 दिन और बढ़ाया जा सकता है।
रद्दीकरण (धारा 14): प्रमाणपत्र को समाप्त कर देना। आदेश से पहले संबंधित को सुनवाई का उचित अवसर देना ज़रूरी है।

अनुपातिकता: कार्रवाई की कठोरता गलती के आकार के अनुरूप होनी चाहिए।
FC-4: वार्षिक विवरणी, जिसमें संगठन बताता है कि विदेशी धन कितना आया, कहाँ से आया और कैसे खर्च हुआ।

पृष्ठभूमि: FCRA और पंजीकरण की कहानी

कानून का उद्देश्य: FCRA विदेश से आने वाले धन के आने और उसके उपयोग पर नज़र रखता है। न्यायालय ने माना कि इसी कारण राज्य संगठनों से कड़ा अनुपालन माँग सकता है। साथ ही उसने सर्वोच्च न्यायालय के इंसाफ़ (INSAF) निर्णय का हवाला दिया, जिसके अनुसार कानून के उद्देश्य और स्वयंसेवी संगठनों के विदेशी धन तक पहुँच के अधिकार के बीच संतुलन रखना होता है।

संस्था का इतिहास (निर्णय में दर्ज):

- 1989 में स्थापना बताई गई; 1991 में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकरण।
- 22 जनवरी 1996 को पुराने FCRA, 1976 के तहत विदेशी अंशदान का पंजीकरण।
- 2016 में पंजीकरण का नवीनीकरण हुआ।
- 2021 में नवीनीकरण के लिए आवेदन के बाद गृह मंत्रालय ने 7 से 10 सितंबर 2021 के बीच संस्था के कार्यालय में लेखा-जाँच की।
- 4 फ़रवरी 2022 को 180 दिन का निलंबन, खातों पर रोक और कारण बताओ नोटिस। 17 अक्टूबर 2022 को पंजीकरण रद्द।

प्रक्रिया की कड़ी: पहले यह मामला अनुच्छेद 226 की रिट याचिका के रूप में 29 नवंबर 2022 को दाखिल हुआ। केंद्र की आपत्ति पर 7 दिसंबर 2022 को इसे धारा 31 की प्रथम अपील (RFA) में बदला गया। न्यायालय ने कहा कि धारा 14(1) के आदेश के विरुद्ध अपील की सीमा धारा 31(2) के तहत 60 दिन है और याचिका 29 नवंबर 2022 को, यानी आदेश के 43 दिन बाद, दाखिल मानी जाएगी। इसलिए समय-सीमा की आपत्ति खारिज हुई। केंद्र का यह तर्क भी खारिज हुआ कि पहले धारा 32 का पुनरीक्षण उपाय अपनाना ज़रूरी था।

न्यायालय ने क्या कहा

कड़ाई का अर्थ यांत्रिकता नहीं: न्यायालय ने कहा कि "कड़ा अनुपालन" का मतलब "यांत्रिक अनुपालन" नहीं है। गृह मंत्रालय को अधिनियम की शक्तियों का उपयोग उसके उद्देश्य और प्रयोजन को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए था, कठोर और अत्यधिक सख्त रास्ता अपनाने के लिए नहीं।

गलतियाँ या अपराध: न्यायालय के अनुसार आरोपित बातें "विचलन" (aberrations) थीं, ऐसी अवैधताएँ नहीं जिन्हें FCRA रोकना चाहता है। हर बात संस्था की अपनी बही-खातों और बोर्ड रिकॉर्ड की जाँच से सामने आई, और छिपाने का कोई आरोप नहीं था।

अनुपातिकता: संस्था 1996 से काम कर रही थी, लगभग 24 कार्यालय और लगभग 150 कर्मी थे, शासी निकाय की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश करते थे, और पहले कोई शिकायत या कार्रवाई नहीं हुई थी। रद्दीकरण से विदेशी अंशदान लेने की क्षमता रुक गई और धारा 15 के तहत संस्था की इस धन से बनी संपत्तियाँ राज्य सरकार के हाथ में चली गईं। न्यायालय ने इसे लगभग संस्था को ध्वस्त करने जैसा बताया और कहा कि गृह मंत्रालय ने इतने कठोर कदम का कोई कारण नहीं बताया।

गोपनीय सूचनाएँ: गृह मंत्रालय ने कहा कि उल्लंघनों की जानकारी "सुरक्षा सूचनाओं" से मिली, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसी सूचनाएँ इतनी गोपनीय नहीं रखी जा सकतीं कि अदालत के सामने भी कोई सामग्री न रखी जाए, जबकि संस्था पर पंजीकरण रद्द होने जैसी भारी कार्रवाई हुई हो।

आदेश के बाद जोड़ा गया कारण: "आक्रामक सरकार-विरोधी राजनीतिक सक्रियता" का आरोप न कारण बताओ नोटिस में था, न रद्दीकरण आदेश में। वह पहली बार अपील के जवाब में आया। न्यायालय ने दोहराया कि आदेश उन्हीं कारणों पर टिकता है जो उसमें दर्ज हों। बाद में हलफ़नामे से कारण जोड़े नहीं जा सकते।

छह आरोप और न्यायालय का उत्तर

आरोप	न्यायालय की राय
1. FC-4 में हस्तांतरण न दिखाना: 2019-20 में एक अन्य FCRA-पंजीकृत संगठन (प्रयास) को ₹33,73,545 भेजे गए, पर FC-4 के बिंदु 3(d) में नहीं दिखाए गए।	धन RTGS से भेजा गया था, FC-4 के साथ लगे नामित खाते के विवरण में दर्ज था और छिपाने या दुरुपयोग का आरोप नहीं था। धारा 18 और नियम 17 की ज़रूरतें मूल रूप से पूरी हुईं।
2. बार एसोसिएशन शुल्क: दो अधिवक्ताओं की सदस्यता का ₹1,10,250 विदेशी अंशदान से भरा गया।	रकम छोटी थी, संस्था के उद्देश्य से सीधा संबंध था, और वह लौटाने की पेशकश हुई थी। न्यायालय ने इसे अधिक से अधिक अनियमितता माना, निजी लाभ के लिए धन का मोड़ना नहीं।
3. किराये की जगह: एक वरिष्ठ अधिवक्ता से किराये पर ली गई जगह, जिससे उनका निजी लाभ होने का आरोप था।	बाज़ार दर से अधिक किराये या किसी अनुचित लाभ की कोई सामग्री नहीं थी। संस्था ने आपत्ति के बाद किरायेदारी समाप्त कर दी। न्यायालय ने निजी लाभ का अनुमान "भ्रांतिपूर्ण और दूर की कौड़ी" बताया।
4. KIOS परियोजना: आरोप था कि धन विदेश में खर्च हुआ।	परियोजना छह दक्षिण एशियाई देशों में थी, पर भारत का कार्यक्रम भारत तक सीमित था। संस्था को भारत के लिए ₹68,25,250 मिले, और किसी विदेशी संगठन को धन भेजने का आरोप नहीं था।
5. यूरोपीय संघ की परियोजना: आरोप था कि गतिविधियाँ भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के प्रतिकूल हो सकती थीं और राजनीतिक थीं।	रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं थी। इंसाफ़ निर्णय के अनुसार "राजनीतिक" गतिविधि का संबंध सक्रिय या दलीय राजनीति से है। अदालतों और आयोगों जैसी संवैधानिक व्यवस्था के ज़रिए पीड़ितों की मदद को राजनीतिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता।
6. विविध आय: ₹13,44,248 की आय को विदेशी अंशदान मानने का आरोप। यह आय 2017-18 (₹67,050), 2018-19 (₹7,81,883) और 2019-20 (₹4,95,315) की थी।	धन भारतीय इंटर्न और भारतीय मुकदमेबाज़ों से रुपयों में आया। न्यायालय ने इसे विदेशी अंशदान या उससे उपजी आय नहीं माना। उसके अनुसार हर रुपया केवल इसलिए विदेशी अंशदान नहीं बन जाता कि संस्था के पास FCRA पंजीकरण है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस पर बिना व्यक्तिगत सुनवाई के पंजीकरण रद्द करना उचित नहीं था।

नोट: रकम और वर्ष निर्णय में दर्ज पक्षों के कथनों और न्यायालय के निष्कर्षों से लिए गए हैं।

निर्णायक अंतर: रद्दीकरण बनाम नवीनीकरण

बिंदु	निर्णय में क्या हुआ
17 अक्टूबर 2022 का रद्दीकरण आदेश:	रद्द (अनुच्छेद 31)।

पंजीकरण की स्थिति:	रद्दीकरण से पहले ही अवधि समाप्त हो चुकी थी (अनुच्छेद 32)। निर्णय में समाप्ति की तारीख नहीं दी गई।
न्यायालय की अनुमति:	नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने और/या आगे बढ़ाने की छूट।
गृह मंत्रालय के लिए निर्देश:	आवेदन शीघ्र निपटाए और रद्द हुए आदेश के आरोपों का संदर्भ न ले।
जो नहीं हुआ:	चालू (वैध) पंजीकरण की स्वतः बहाली नहीं हुई। नवीनीकरण पर अंतिम निर्णय अब भी गृह मंत्रालय के पास है।

इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि रद्दीकरण आदेश अब अस्तित्व में नहीं है और नवीनीकरण पर निर्णय पुराने आरोपों को देखे बिना होना है। पर विदेशी अंशदान लेने की अनुमति नवीनीकरण स्वीकृत होने के बाद ही मिलेगी। न्यायालय ने निलंबन आदेश (4 फ़रवरी 2022) की वैधता पर कुछ तय नहीं किया, क्योंकि रद्दीकरण के बाद वह अप्रासंगिक हो गया था और धारा 31(2) की अपील केवल रद्दीकरण पर चलती थी। रुके हुए खातों और धारा 15 के तहत गई संपत्तियों पर आगे क्या होगा, यह निर्णय के निर्देशों में अलग से नहीं बताया गया है।

परीक्षा की दृष्टि से

प्रिलिम्स में: FCRA 2010 की धाराएँ 13 (निलंबन), 14 (रद्दीकरण), 31 (अपील) और 32 (पुनरीक्षण), नवीनीकरण बनाम रद्दीकरण, अनुपातिकता, "राजनीतिक गतिविधि" पर इंसाफ़ निर्णय का रुख।

मुख्य परीक्षा में: राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नियमन और नागरिक समाज की स्वतंत्रता के बीच संतुलन, प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा, कारण दर्ज करने का नियम, गोपनीय सूचना बनाम निष्पक्ष सुनवाई।

संबंधित लेख:

यह भी पढ़ें

FCRA संशोधन विधेयक 2026: JPC में लंबित, संपत्ति का नियम

आगे की राह

- **नवीनीकरण पर निर्णय:** अब नज़र इस पर रहेगी कि गृह मंत्रालय आवेदन कितनी जल्दी और किन आधारों पर निपटाता है।
- **अपील की संभावना:** यह एकल न्यायाधीश का निर्णय है। आगे अपील होती है या नहीं, यह इस लेख के लिखे जाने तक निर्णय के पाठ से तय नहीं होता। इसलिए आगे के घटनाक्रम पर नज़र रखें।
- **स्पष्ट मानक:** कौन-सी चूक तकनीकी है और कौन-सी गंभीर, इसके लिए सांविधिक या प्रशासनिक मार्गदर्शन से अनिश्चितता घट सकती है।
- **पारदर्शिता:** आदेश में स्पष्ट कारण दर्ज होना और सामग्री अदालत को दिखाना, दोनों नियमन की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 नवंबर 2026 के निर्णय (SLIC बनाम भारत संघ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2022 का पंजीकरण रद्दीकरण आदेश रद्द कर दिया।

कथन 2: न्यायालय ने संस्था का FCRA पंजीकरण स्वतः बहाल कर दिया।

कथन 3: न्यायालय ने संस्था को नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने या आगे बढ़ाने की छूट दी और कहा कि उसे शीघ्र निपटाया जाए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

▼ उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (b)

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 31 में रद्दीकरण आदेश रद्द किया गया।

कथन 2 गलत है: अनुच्छेद 32 के अनुसार रद्दीकरण से पहले ही पंजीकरण की अवधि समाप्त हो चुकी थी, इसलिए स्वतः बहाली नहीं हुई।

कथन 3 सही है: अनुच्छेद 32 में नवीनीकरण आवेदन दाखिल करने या आगे बढ़ाने की छूट दी गई और गृह मंत्रालय से शीघ्र निर्णय के लिए कहा गया।

प्रश्न 2. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: धारा 14(1) के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील धारा 31(2) के तहत आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर की जा सकती है।

कथन-II: धारा 13 के अंतर्गत निलंबन 180 दिन के लिए किया जा सकता है और इसे अधिकतम 180 दिन और बढ़ाया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या करता है

(b) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं, पर कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं करता

(c) कथन-I सही है, पर कथन-II गलत है

pcsmantra.com

(d) कथन-I गलत है, पर कथन-II सही है

▼ **उत्तर और व्याख्या**

उत्तर: (b)

कथन-I सही है: धारा 31(2) में धारा 14(1) के आदेश के विरुद्ध 60 दिन में उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान है।

कथन-II सही है: धारा 13 में 180 दिन का निलंबन और उससे अधिकतम 180 दिन की बढ़ोतरी का प्रावधान है।

संबंध: दोनों अलग-अलग प्रावधान हैं। एक अपील की समय-सीमा बताता है, दूसरा निलंबन की अवधि, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता।

सामान्य प्रश्न (FAQ)

संक्षिप्त उत्तर: अदालत ने रद्दीकरण आदेश रद्द किया, पर पंजीकरण की स्वतः बहाली नहीं की; मामला अब नवीनीकरण आवेदन पर टिका है।

▼ **प्रश्न: क्या SLIC अब सीधे विदेशी धन ले सकती है?**

नहीं। निर्णय में नवीनीकरण का रास्ता खुला है, पर विदेशी अंशदान लेने की अनुमति नवीनीकरण पर गृह मंत्रालय के निर्णय के बाद ही संभव होगी।

▼ **प्रश्न: न्यायालय ने नवीनीकरण पर गृह मंत्रालय को क्या निर्देश दिया?**

आवेदन शीघ्र निपटाने और रद्द किए गए आदेश वाले आरोपों का संदर्भ न लेने का।

▼ **प्रश्न: रद्दीकरण आदेश के विरुद्ध यह मामला पहले रिट के रूप में क्यों दाखिल हुआ और फिर अपील क्यों बना?**

केंद्र ने आपत्ति की कि धारा 31 के तहत प्रथम अपील का उपाय है। इसे मानकर 7 दिसंबर 2022 को याचिका अपील के रूप में दर्ज की गई।

स्रोत

1. दिल्ली उच्च न्यायालय, RFA 635/2022, सोशियो-लीगल इन्फ़ॉर्मेशन सेंटर बनाम भारत संघ, निर्णय दिनांक 26.11.2026 (69 पृष्ठ)
2. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, धारा 31 (अपील)
3. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, धारा 14 (रद्दीकरण)
4. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010, धारा 13 (निलंबन)